

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2025

जयपुर, दिनांक :

आदेश

डा. शंकर लाल बामनिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के विरुद्ध विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों की जांच विचाराधीन है। डा. बामनिया के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पद पर रहते हुए उक्त जांचों के प्रभावित होने की संभावना के दृष्टिगत डा. बामनिया का स्थानान्तरण/पदस्थापन उप नियंत्रक, जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ के रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

डा. बामनिया को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)डीओपी/ए-2/86 दिनांक 08.02.2013 के डीएसीपी नियमों में प्रावधान है कि "if there is no vacancy for granting DACP available, The post held by the candidate shall be converted into the post on which the candidate is to be promoted till he/she will hold that post". कार्मिक विभाग की उक्त अधिसूचना की पालना में उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निशा मीना)

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग एवं पंचायती
राज (चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राज.
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
6. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
7. संबंधित अधिकारी
8. कम्प्यूटर सेल

संयुक्त शासन सचिव

Document certified by NISHA MEENA
<nisha281073@yahoo.co.in>

Digitally Signed by Nisha Meena
Designation: Joint Secretary To
Government
Date :07-01-2025 05:02:34